## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 743वी बैठक दिनांक 29.08.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 743वी बैठक दिनांक 29.08.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–**

| क्र. | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8930/2022 | 1(a) | बॉक्साईट खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 2. | 9196/2022 | 1(a) | रेत खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 3. | 9197/2022 | 1(a) | रेत खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 4. | 9255/2022 | 1(a) | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 5. | 9274/2022 | 1(a) | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 6. | 9276/2022 | 1(a) | फर्शीपत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 7. | 9212/2022 | 1(a) | पत्थर खदान | FoR ToR | ToR स्वीकृत |
| 8. | 5617/2022 | 1(a) | लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्पष्टीकरण |
| 9. | 9266/2022 | 1(a) | मुरूम खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्पष्टीकरण |

1. **प्रकरण क्र. 8930/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाई कंपनी, वार्ड नं. 8, पोस्ट जैतवारा, जिला सतना (म.प्र)–485221 द्वारा बाक्साईट खदान, उत्पादन क्षमता बाक्साईट 40010 टन प्रतिवर्ष एवं ओवरबर्डन 1750 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 16.18 हेक्टेयर, खसरा 50 भाग, ग्राम सलैया, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

   राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 588वी बैठक दिनांक 16.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 588 वी बैठक दिनांक 16.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC के समक्ष की गई प्रतिबद्वता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **खदान क्षेत्र के अंदर निवासरत श्रमिकों के 15 आवास एवं खदान के दक्षिण में खदान के समीप स्थित मानव बसाहट की सुरक्षा के दृष्टिगत मानव बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद जीवित 776 वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उस क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा तथा इसी स्थान पर 3,500 अतिरिक्त पौधों का वृक्षारोपण कर रख रखाव किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

VI. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 20540 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

| Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary | | | |
|---|---|---|---|
| **Phase** | **Location** | **Name of Tree** | **Nos.** |
| 1st year | In barrier zone | Katang bans, Karanj,, Khamer, Neem, Sissoo,, Aanwla, Jangle Jalbi , Chirol and other local species (70 cmX70cmX70cm) | 2000 |

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2nd year | In barrier zone | Katang bans, Karanj,, Khamer, Neem, Sissoo,, Aanwla, Jangle Jalbi , Chirol and other local species (70 cmX70cmX70cm) | 4300 |
| 2nd to CP | Backfilled area | Katang bans, Karanj,, Khamer, Neem, Sissoo,, Aanwla, Jangle Jalbi , Chirol and other local species (2mtrs X2 mtrs ) | 12000 |
| 1st year to 2nd year | Along the transport route (300m) 2.5m distance with 01m height | Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species | 240 |
| 1st year | For village distribution | Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species | 2000 |
| | | **Total** | **20540** |

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम चिट्टी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक किचन रूम मय प्लेटफार्म, 02 शौचालय का निर्माण पानी की उचित व्यवस्था के साथ किया जाये एवं 02 कम्प्यूटर वितरित किये जायें तथा एक 05 किलोवाट का सोलर पैनल पावर बैकअप के साथ स्थापित किया जाए।
- ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि पर तालाब निर्माण किया जाये एवं पुराने तालाब का गहरीकरण किया जाये।
- ग्राम चिट्टी के आदिवासी मोहल्ले में दो हैंड पंप स्थापित किये जायें।
- ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर खेल का मैदान विकसित किया जाए।
- ग्राम चिट्टी के मुक्तिधाम में 02 शैड का निर्माण किया जाये तथा 100 पौधों का रोपण किया जाये।
- ग्राम चिट्टी के आंगनवाडी केन्द्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के परामर्श से 1 वर्ष तक पोषण अहार (दूध, अंडे एवं मौसमी फल आदि) का वितरण किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम चिट्टी में पानी हेतु टंकी का निर्माण किया जाये एवं गौशाला का निर्माण किया जाये।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाई कंपनी, वार्ड नं. 8, पोस्ट जैतवारा, जिला सतना (म.प्र)–485221 द्वारा बाक्साईट खदान, उत्पादन क्षमता बाक्साईट 40010 टन प्रतिवर्ष एवं ओवरबर्डन 1750 घनमीटर प्रतिवर्ष, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रकबा 16.18 हेक्टेयर, खसरा 50 भाग, ग्राम सलैया, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र) को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है।** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) आदेश क. 5020 दिनांक 21.10.2016 के अनुसार 50 वर्ष (07. 11.3032 तक ) की अवधि हेतु स्वीकृत है, **अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07.11.2032 तक वैध रहेगी।**

2. **प्रकरण क्र. 9196/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईंस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी 9–ए पैरामांउट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 10000 धनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.10 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम – कुटिया, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 588वी बैठक दिनांक 16.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 588 वी बैठक दिनांक 16.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्टाप **डैम (डाउन स्ट्रीम पार्ट पर) से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 500 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में निर्धारित रहेगा। उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 12,000 घनमीटर, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 12,000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्पादन 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष मात्रा से अधिक मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने **कुल 2550 पौधों में से 50 प्रतिशत पौधों का रोपण माह अक्टूबर 2022 के पूर्व किया जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत पौधों का रोपण लीज समाप्ति अवधि के पूर्व किया जायेगा।**

| प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|
| परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) | आम, जामुन, नागर मोथा, सीताफल, नीम, करंज, चिरौल, खमेर, कटगबॉस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | 2000 |
| ग्रम कुटिया के शासकीय विघालय मे | कदम, कचनार, अमलतास, सीताफल, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | 50 |
| ग्रम कुटिया के ग्रामवासियों मे वितरण हेतु | इमली, मुनगा, ऑवला, कठहल, महुआ, आम, अमरूद, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | 500 |
| | योग | 2550 |

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम कुटिया के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में 10 पलंग गद्दे चादर एवं तकिया उपलब्ध कराए जायें एवं 02 बार चिकित्सा शिविर का आयोजन एवं औषधि वितरित की जाये।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईंस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी 9–ए पैरामांउट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 10000 धनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.10 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम – कुटिया, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का आदेश क. 1217 दिनांक 10.05. 2022 के अनुसार दिनांक 30.06.2023 तक प्रदान कि गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

3. **प्रकरण क्र. 9197/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईंस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी 9–ए पैरामांउट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 35000 धनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1400 ,ग्राम – सडकर, तहसील चॉदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 588वी बैठक दिनांक 16.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 588 वी बैठक दिनांक 16.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 35,000 घनमीटर, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 35,000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्पादन 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष मात्रा से अधिक मात्रा का उत्खनन नहीं

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम **तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों में से 50 प्रतिशत पौधों का रोपण माह अक्टूबर 2022 के पूर्व किया जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत पौधों का रोपण लीज समाप्ति अवधि के पूर्व किया जायेगा।**

| प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|
| परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) | आम, जामुन, नागर मोथा, सीताफल, नीम, करंज, चिरौल, खमेर, कटगबॉस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | 2000 |
| ग्रम सडकार के ग्राम पंचायत भवन, आगनवाडी एवं शासकीय विघालय मे | कदम, कचनार, अमलतास, सीताफल, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | 800 |
| ग्रम सडकार के ग्रामवासियों मे वितरण हेतु | इमली, मुनगा, ऑवला, कठहल, महुआ, आम, अमरूद, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | 2000 |
| | योग | 4800 |

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम सडकर, के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में 05 व्हील चेयर एवं 05 स्ट्रेचर 10 पलंग गद्दा चादर एवं तकिया उपलब्ध कराए जाए एवं 02 बार चिकित्सा शिविर का आयोजन एवं औषधि वितरित की जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईंस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी 9–ए पैरामांउट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 35000 धनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1400, ग्राम – सडकर, तहसील चॉंदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का आदेश क. 12176 दिनांक 10.05.2022 के अनुसार दिनांक 30.06.2023 तक प्रदान कि गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

4. प्रकरण कमांक 9255/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री रजत चौधरी आत्मज श्री भगवान दास चौधरी, निवासी 424, ग्राम हृदयपुर, दमोह खास जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 114/1,115/1 रकबा 1.589 हेक्टेयर, ग्राम मांधपुर, तहसील बक्सवाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 588 वी बैठक दिनांक 16.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 588 वी बैठक दिनांक 16.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा जिला पोर्टल पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन कर परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **एच टी लाईन से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 60 मीटर (7.5 मीटर बैरियर जोन सम्मिलित कर) तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 12 जीवित वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उस क्षेत्र को"नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित कर रख रखाव किया जायेगा।

IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2300 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

| प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|
| बैरियर जोन | नीम, पीपल, सिस्सु, करंज, चिरोल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 1000 |
| गैर खनन क्षेत्र | आम, कठहल, नीम, पीपल, बरगद, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 100 |
| परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) | कदम, कंचनार, चिरोल, नीम, आम, सिस्सु, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 200 |
| ग्रम वासियों मे वितरण हेतु | आंवला, आम, बेल, मुनगा, कटहल, अमरूद, पपीता, नींबू, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 500 |
| ग्राम सुनवाहा में तालाब के किनारे | कदम, नीम, पीपल, कचनार, बरगद, पाकड, महुआ एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 500 |
| | योग | 2300 |

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम सुनवाहा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में 01 कम्प्यूटर, प्रिंटर मय टेबल के साथ एवं 01 अलमारी लाईब्रेरी के लिए उपलब्ध कराई जायें तथा स्कूल बिल्डिंग का रिनोवेशन किया जाये।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आवश्यकता आधारित गतिविधि 'जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री रजत चौधरी आत्मज श्री भगवान दास चौधरी, निवासी 424, ग्राम हृदयपुर, दमोह खास जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 114/1,115/1 रकबा 1.589 हेक्टेयर, ग्राम मांधपुर, तहसील बक्सवाहा जिला छतरपुर (म.प्र.) को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का पत्र क्र. 6480 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.11.2031 तक मान्य रहेगी।

5. प्रकरण कमांक 9274/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाह आत्मज श्री व्ही. एस. कुशवाह, निवासी सिसोदिया कालोनी, तहसील व जिला गुना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 34/5, 34/6/1, 34/6/2, 34/7 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम चांदपुर माल, तहसील व जिला डिंडोरी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 589 वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 589 वी बैठक दिनांक 17.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा जिला पोर्टल पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन कर परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC के समक्ष की गई प्रतिबद्वता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।

III. वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबंध में परियोजना प्रस्तावक क्षरा (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाये।

| प्रस्तावित वृक्षारोपण | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा |
|---|---|---|

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| हेतु नियत स्थान | | (संख्या में) |
|---|---|---|
| बैरियर जोन | नीम,पीपल,बरगद,करंज,महुआ,चिरोल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। | 800 |
| परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) | नीम,कटंग बांस,चिरोल,करंज,महुआ,जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। | 280 |
| शासकीय विद्यालय में | मौलश्री,पुत्रन्जीवा,कचनार,कदम,नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। | 120 |
| | योग | 1200 |

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम चांदपुर माल के आंगनवाडी केन्द्र में संबंधित विभाग से परामर्श कर 1 वर्ष तक पौष्टिक आहार वितरित किया जाये।
- ग्राम चांदपुर माल के शासकीय स्कूल परिसर में 120 पौधों का रोपण मय ट्रीगार्ड के साथ नेमप्लेट सहित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि ,जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाह आत्मज श्री व्ही. एस. कुशवाह, निवासी सिसोदिया कालोनी, तहसील व जिला गुना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 34/5, 34/6/1, 34/6/2, 34/7 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम चांदपुर माल, तहसील व जिला डिंडोरी (म.प्र.) को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी का आदेश क. 91 दिनांक 24.05.2022 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.05.2032 तक मान्य रहेगी।

6. प्रकरण कमांक 9276/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री भंवर लाल पटेल आत्मज श्री हरप्रसाद पटेल, निवासी – वार्ड क. 12 यशवंतनगर, तहसील रायसेन जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर 5000 घनमीटर

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**प्रतिवर्ष एवं ढोका बोल्डर 1429 घनमीटर, प्रतिवर्ष, खसरा नं. 254/1 रकबा 3.00 हेक्टेयर, ग्राम मुरैलकलां, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 589 वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 589 वी बैठक दिनांक 17.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा जिला पोर्टल पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन कर परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC के समक्ष की गई प्रतिबद्वता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागायुक्त समिति भोपाल संभाग, की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04/09/21 में की गई अनुशंसा अनुसार, वन सीमा की ओर पक्के मुनारे बनवाकर चेनलिंग फेन्सिग किया जाये तथा सघन वृक्षारोपण किया जाये एवं उत्खनन कार्य हेतु वहां के भूजल का उपयोग न किया जाये तथा उत्खनन के पश्चात खदान क्षेत्र के तल एवं आस–पास के किनारों को समतल किया जाये। उपरोक्तानुसार शर्तों के परिपालन हेतु खदान के सीमांकन का कार्य वन विभाग,राजस्व एवं खनिज अधिकारी की उपस्थित में किया जाये।

IV. वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबंध में परियोजना प्रस्तावक क्षरा (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाये।

| प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|
| बैरियर जोन | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज आदि। | 1100 |

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| गैर खनन क्षेत्र | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज आदि। | 500 |
| परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि। | 250 |
| ग्रम मुरैलकला के ग्राम वासियों मे वितरण हेतु | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, आमला, करंज आदि। | 1500 |
| ग्राम मुरैल कलां के पंचायत भवन परिसर में | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि। | 200 |
| ग्राम मुरैल कलां के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, आमला, करंज आदि। | 50 |
| | **योग** | **3600** |

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम मुरैल कलां के नजदीकी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार स्वास्थ केंद्र में 1 बेड एवं 2 स्ट्रेचर्स उपलब्ध कराये जायें।
- ग्राम मुरैल कलां के आंगनवाड़ी केंद्र का रिनोवेशन किया जाये।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**परियोजना प्रस्तावक श्री भंवर लाल पटेल आत्मज श्री हरप्रसाद पटेल, निवासी – वार्ड क. 12 यशवंतनगर, तहसील रायसेन जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ढोका बोल्डर 1429 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 254/1 रकबा 3.00 हेक्टेयर, ग्राम मुरैलकलां, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है।**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**संचालनालय भौमिकी खनिकर्म भोपाल के पत्र क. 3443 दिनांक 14.03.2022 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.03.2032 तक मान्य रहेगी।**

7. **प्रकरण क्र. 9212/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पायल बिन्नैन पिता श्री व्यंकटेश तिमन्ना निवासी 81, राजेन्द्र नगर, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 3/1/1/1, ग्राम सांवलियारूण्डी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 589वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का परिपालन सुनिश्चित की जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(viii) मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(ix) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(x) विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xii) एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

(xiii) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

(xvi) पक्की सड़क से खदान तक 200 मीटर का नो माईनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जाना ईआईए में प्रावधानित किया जाये।

(xvii) खदान क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्षों को नहीं काटे जाने हेतु नो माईनिंग जोन का प्लान ईआईए में प्रावधानित किया जाये।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 5617/2017 परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश खरे निवासी खरे बिल्डिंग गांधीगंज पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र) द्वारा लाईम स्टोन व डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट फुली

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25266 टन प्रतिवर्ष रकबा 1.870 हेक्टेयर, खसरा 503, नवीन 867, 955, ग्राम रूपौंद, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 589वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के मध्य भाग में एक कच्चा रास्ता (पब्लिक रोड़) परिलक्षित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला कलेक्टर कटनी से खदान से नियमानुसार निर्धारित दूरी पर ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराये जाने के संबंध में (जो कि खदान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित हो) लिखित स्वीकृति/सहमति प्राप्त कर 15 दिवस में SEIAA की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।**

9. **प्रकरण कमांक 9266/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स निशी कान्सट्रक्शन प्रो. श्री सुनील खर्चे, निवासी – वार्ड क. 15 गावंण्डे कालोनी सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14537 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 271 रकबा 2.123 हेक्टेयर, ग्राम जमालपानी, तहसील, सौंसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 589वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान से उत्तर दिशा में 50 मीटर एवं पूर्व दिशा में 25 मीटर पर पक्की सड़क तथा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) जिसके परिपालन में पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 100 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त न्यूनतम क्षेत्र पर खनन अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

---

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष